मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक सुरेन्द्र कोहली,

भ्रष्ट आका के गुलाम

ओरिएण्टल बीमा कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एन. तोपदान जिन्हें भ्रष्टाचार रोकने के लिये नियुक्त किया वही भ्रष्टाचारीयों की मदद कर न्यायीक जाँ च में सहयोग नहीं कर रहा है.

मुख्य सतर्कता अधिकारी एन तोपदान

कंपनी के अधिकारीगण करोड़ों रुपयों के आर्थिक घोटाला प्रायोजित करते है. मामले का पर्दाफाश होने पर पुलिस में एफ आईआर कंपनी के अधिकारी करते है . इसके बाद कंपनी के पेनल अधिवक्ता आरोपी अधिकारी की अग्रीम जमानत कराने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनका बचाव करते है.

इन्दौर: अरबों रुपयों का आर्थिक घोटाला करने वाले ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में पूर्व जनरल मेनेजर बी. के सरकार एवं अन्य भ्रष्ट अधिकारीयों को बचाने के लिये वर्तमान में पदस्थ मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक सुरेन्द्र कोहली, प्रधान कार्यालय के डिप्टी जनरल मेनेजर और कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एन तोपदान उन्हें बचाने के लिये जिन हथकड़ों का इस्तेमाल कर रहे है उसे साबित होता है कि वे अपने पूर्व के आका को बचाने के लिये न्याय व्यवस्था से टकराने के लिये तैयार है और भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी अधिकारीयों को बचाने के लिये उन्होंने कंपनी की अनुमति के बगैर स्वयं न्यायालय के आदेश को चुनौति दी और न्यायालय में विचाराधीन अपराधीक प्रकरण में न्यायालय के आदेश को ही गलत सिद्व करने का प्रयास कर रहे है.

मामला क्या है

इन्दौर की जिला अदालत के न्यायीक दंडाधिकारी महोदय संजीव गुप्ता की अदालत में शिकायतकर्ता रवि कुमार ने एक फौजदारी प्रकरण प्रस्तुत क्या.जिसकी न्यायीक जाँच मजिस्ट्रेट अर्तगत धारा-२०२ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कर रहा.है.

न्यायीक जाँ च के दौरान प्रकरण लगाने वाले रवि कुमार के निवेदन पर अपराध से संबंधीत दस्तावेजों को न्यायालय में बुलाये जाने संबंधी आवेदन पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सहा. महा प्रबन्धक एवं इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक से बुलाये गये.

इन तीनों अधिकारीयों की और से कंपनी के पेनल अधिवक्ता रविन्द्रसिंह छाबड़ा ने कंपनी के इन तीनों अधिकारीयों के निर्देश पर दस्तावेज पेश नहीं कर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों के बारे में यह उल्लेख किया कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है , दस्तावेजों का प्रकरण से संबंधीत नहीं है, दस्तावेज का अलग से रिकार्ड मौजूद नहीं है तथा कुछ दस्तावेजों के बारे में उल्लेख किया कि वे दिल्ली की सीलिग में बन्द है. तीनों अधिकारीयोंने ने आरोपी अधिकारीयों को बचाने के लिये दस्तावेजों के न्यायालय में प्रस्तुत न करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिया. इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के डिप्टी जनरल मेनेजर की और से न्यायालय में दो पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसमें विराधाभास होने न्यायालय ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और न्यायीक जाँ च में तीनों अधिकारीयों को दिनांक-२८. १२. १० को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया (उक्त आदेश के अंश का अवलोकन करे.)

न्यायालय ने इस संबंध में शपथ पत्र मांगा

जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने कंपनी के तीनों अधिकारीयों को दस्तावेज पेश नहीं करने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिनांक-२८. १२.१० को दिया. मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में-

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक से इस संबंध में शपथ पत्र दिये जाने का आदेश दिया कि-

''उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया. चिफरिजनल मैंनेजर द्वारा अपने आवेदन में प्रश्नगत दस्तावेज उपलब्ध न होना लेख किया है. अत: उन्हें आदेशित किया जाता है वे शपथ पत्र पर यह स्पष्ट करे कि उक्त दस्तावेज किसके अधिपत्य में थे या है तथा उनके कार्यालय में उपलब्ध न होने पर उन्होंने संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व क्या कार्यवाही की और यदि उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उनके कार्यालय में हो तो उन्हें प्रमाणित कर अभिलेख पर प्रस्तुत करे तथा शपथ पत्र में मूल दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध न होने का भी स्पष्ट उल्लेख करे.

डिप्टी जनरल मेनेजर से इस संबंध में शपथ पत्र दिये जाने का आदेश दिया कि-

''डिप्टी जनरल मेनेजर के द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज सागर अपार्टमेंट में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सीलबंद होना अभिकथित किया गया है वे उक्त तथ्य शपथ पर प्रकट करे तथा सागर अपार्टमेंट में सीलबंद करते समय कौन कौन से दस्तावेज रखे गये थे, उनकी सूची स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई गई होगी उसकी प्रतिलिपि पेश करे. तथा स्थानीय प्राधिकारी का सीलबंद करने के आदेश की प्रतिलिपि भी पेश करे साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थानीय प्राधिकारी के किस प्रकरण में सीलबंद करने की कार्यवाही की गई और वह वर्तमान में किस अवस्था पर है यह भी स्पष्ट करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिप्टी जनरल मेनेजर दस्तावेजों को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे है. यहाँ यह भी उल्लेख है कि पूर्व में चिफ विजिलेंस आफिसर की और से पत्र दिनांक-१२. ०७.०७ की फोटोकापी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें केवल एमएसीटी कोर्ट से संबंधीत दस्तावेज सागर अपार्टमेंट में रखे होने वाली बात लेख है. इसलिए इस संबध में डिप्टी जनरल मेनेजर का उपरोक्तानुसार विस्तृत शपथ पत्र आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की सदभाविकता के निराकरण के लिये आवश्यक है.''

चिफ विजिलेंस आफिसर से इस संबंध में शपथ पत्र दिये जाने का आदेश दिया कि-

''चिफ विजिलेंस आफिसर द्वारा द्वितिय आपत्ती यह की गई थी कि परिवादी के आवेदन के आधार पर बी. के.शर्मा द्वारा कोई भी जाँच नहीं की गई और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट दी गई. अत: इस संबध में आदेशित किया जाता है कि चिफ विजिलेंस आफिसर उक्त तथ्य का शपथ पत्र के द्वारा स्पष्टीकरण करे.''

न्यायीक दंण्डाधिकारी महोदय प्रथमश्रेणी के आदेश के विरुद्व इन तीनों अधिकारीयों ने निम्न आधारों पर क्रिमिनल रीविजन नम्बर-१६४/ २०११ प्रस्तुत की -

01. That, the impugned order is contrary to the law, facts and circumstances of the case.

02. That the learned trial court failed to appreciate that in the applications/ responses submitted by the petitioners, the petitioners have accounted for non production of the documents and therefore, the learned trial court was not right in directing filing of affidavits on issues which did not lie within the domain of the learned trial court. From the observations made in the impugned order, it appears that he learned Magistrate is conducting a roving enquiry against the petitioners which is not permissible under law.

03. That, the impugned order is illegal and improper in as much as the learned trial court ought to have restricted the adjudications of the application u/s 91 of Cr.P.C. in terms of the authority given to the learned Magistrate under the said provisions of law.

04. That, the impugned order is improper in as much as it further flairs up the mala fide intention of the respondent No.1/ complainant to wreak personal vengeance against the official of the OICL. The learned trial court ought to have taken into consideration the ulterior motive of the respondent No.1 in pressing upon the learned trial court to make such observation.